न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2018 (2018/00059)

प्रार्थीगण

1. शिवराम पुत्र भूराराम
2. गोगाराम पुत्र भूराराम
3. छोगाराम पुत्र भूराराम
4. किसनाराम पुत्र भूराराम
5. श्रवणराम पुत्र भूराराम
6. परसाराम पुत्र भूराराम
7. फेफा देवी पत्नी श्योदान
8. गेरली देवी पत्नी छोटूराम

जाति समस्त गुर्जर निवासीयान ग्राम ग्राम बुद्वदेवपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. देवकरण पुत्र भैराराम गुर्जर
2. हीराराम पुत्र पोकरराम
3. कालूराम पुत्र पोकरराम
   जाति समस्त गुर्जर निवासीयान ग्राम ग्राम बुद्वदेवपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
4. कृष्णा देवी पत्नी सुखाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरियाजून तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार, कुचामनसिटी (भूमिधारी)।

प्रार्थना पत्र रास्ता दिलाने बाबत

अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

निर्णय

दिनांक :– 20/6/18

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम बुद्वदेवपुरा के पुख्ता निवासी है जिनकी खेत खातेदारी भूमि खसरा नं0 118 रकबा 4.94 है0 आई हुई है।

अप्रार्थीगण ग्राम बुद्वदेवपुरा तहसील कुचामनसिटी के पुख्ता निवासी है एवं खेत खसरा नं0 138 रकबा 2.40 है0 अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की दर्ज चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता का आवेदन किया जा रहा है। प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता नहीं होने से अपने–अपने खेत की जोत के लिए व मवेशियान व ट्रेक्टर गाड़ी आने–जाने का रास्ता नहीं है।

प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 118 में पहुचने के लिए खसरा नं0 138 में सड़क से रास्ते की आवश्यकता है इसके अलावा कोई नजदीकी रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

के साथ संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ते हेतु यह प्रार्थना पत्र रास्ता बाबत लाना आवश्यक हुआ है।

ग्राम बुद्वदेवपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 118 में आने-जाने के लिए खेत खसरा नं0 138 में पूर्वी तरफ लगी सड़क से आने जाने का रास्ता 6 मीटर चौड़ाई का प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शानुसार गै0मु0 राजकीय रास्ता घोषित किया जावे व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें। प्रार्थीगण सरकारी डी.एल.सी दर से जो मुआवजा बनता है वह प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्ट्री ऐडी से कराई गई। नोटिस रसीद सहित व रजिस्ट्री ऐडी अदम तामिल शामिल मिसल है। अप्रार्थी 5 उप0 जिन्होने मौका रिपोर्ट पेश की, शामिल मिसल है। वकील प्रार्थी उप0, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बहस सुनाई, बहस में कथन किया की बरसात का मौसम है एवं प्रार्थी के खेत में जाने का यही एक मात्र रास्ता है इसलिये प्रार्थीगण के खेत ग्राम बुद्वदेवपुरा के खसरा नं0 118 में आने जाने हेतु खेत खसरा नं0 138 में पूर्वी तरफ लगी सड़क से आने जाने का 6 मीटर चौडा रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र पेश की है। प्रार्थना पत्र में तहसीलदार कुचामनसिटी से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। माफिक मौका रिपोट रास्ता दिलाने की कृपा करावें। वकील प्रार्थीगण को सुना, प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजात, मौका रिपोर्ट आदि का अवलोकन एवं वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन करने पर वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के ग्राम बुद्वदेवपुरा के खसरा नं0 118 में आने जाने का रास्ता नहीं है इसलिए खेत खसरा नं0 138 में पूर्वी तरफ लगी सड़क से रास्ता दिलावे जिसका मुआवजा नियमानुसार प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को देने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र पर पत्रांक 180 दिनांक 28.04.2018 के द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक 1318 दिनांक 06.06.2018 के द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की, शामिल मिसल है, आदि विवेचन से प्रार्थीगण के खेत में जाने का रास्ता नहीं होने से रास्ता के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए आरटी एक्ट काबिल स्वीकार होने से 6 मीटर चौडाई रास्ता के बजाय 4 मीटर चौडाई का रास्ता दिया जाना स्वीकार कर निम्नप्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम बुद्वदेवपुरा के खेत खसरा नं0 118 में आने जाने के लिए खेत खसरा नं0 138 रकबा 2.40 है0 में से 112 मीटर लम्बी एवं 4 मीटर चौड़ाई कुल 448 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिए कम कर सीवायचक रास्ता कटाणी घोषित किया जाता है।

उक्त रास्ता की मुआवजा राशि 231075/- रूपये प्रति हैक्टर से 448 वर्ग मीटर की राशि 10352/- रूपये बनती है, की दौगुना 20704/- रूपये (अक्षरे बीस हजार सात सौ चार) राशि। प्रार्थी उक्त राशि जरीये बैंक चालान/ड्राफ्ट द्वारा बैंक में जमा

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

कराकर कार्यालय हाजा के कैशियर के पास जमा करावें। अप्रार्थीगण उक्त राशि एक माह में न्यायालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवें। राशि जमा होने पर उक्त कटाणी रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। मिसल नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनॉक 20/6/18 को सरे आम केम्प कोर्ट में सुनाया गया ।

(हरिसुख आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)